न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 590 / 2023
अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 675 / 648 की कुल 10.4510 हैक्ट भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 676 / 650 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि जेठाराम की थी जिसमें हेतराम का 1 / 3 हिस्सा था क्योंकि हजारीराम लावल्द फौत हो गया था किन्तु हेतराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने जेठाराम ने दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध था इसलिए न्यायालय से वादी उक्त वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने रामप्रताप प्रतिवादी को कुल तादादी 10.4510 हैक्ट भूमि में बहिब दर्ज करवाने को कहा तो केवल मात्र 0.8217 हैक्ट भूमि वादी के नाम करवा दी जबकि वादी का 5.2255 हैक्ट हिस्सा बनता था इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की 4.4038 हैक्ट भूमि की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में वर्तमान व पुरानी जमाबंदी पेश की जो कि शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि जेठाराम की थी जिसमें हेतराम का 1/3 हिस्सा था क्योंकि हजारीराम लावल्द फौत हो गया था किन्तु हेतराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने जेठाराम ने दर्ज करवा लिया वादी ने रामप्रताप प्रतिवादी को कुल तादादी 10.4510 हैक्ट भूमि में बहिब दर्ज करवाने को कहा तो केवल मात्र 0.8217 हैक्ट भूमि वादी के नाम करवा दी जबकि वादी का 5.2255 हैक्ट हिस्सा बनता था इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की 4.4038 हैक्ट भूमि की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 675/648 की कुल 10.4510 हैक्ट भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 676/650 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से दादालाई/पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी के दादा जेठाराम की थी जिसमें हेतराम का 1/3 हिस्सा था क्योंकि हजारीराम लावल्द फौत हो गया था किन्तु हेतराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने जेठाराम ने दर्ज करवा लिया वादी ने रामप्रताप प्रतिवादी को कुल तादादी 10.4510 हैक्ट भूमि में बहिब दर्ज करवाने को कहा तो केवल मात्र 0.8217 हैक्ट भूमि वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम करवा दी जबकि वादी का 5.2255 हैक्ट हिस्सा बनता था इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की 4.4038 हैक्ट भूमि की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 675/648 की कुल 10.4510 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी रामप्रताप का 52255/104510 हिस्सा व वादी का 8217/104510 हिस्सा दुरूस्त कर 52255/104510 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 676/650 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:44 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 590/2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 590 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 675/648 की कुल 10.4510 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी रामप्रताप का 52255/104510 हिस्सा व वादी का 8217/104510 हिस्सा दुरूस्त कर 52255/104510 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 676/650 की कुल 1.265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:44 IST
Reason: SelfAttested